रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1986/कार्तिक 1, 1908
No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, OCT 23, 1986/KARTIKA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

आ अ. 71 (अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 कक की उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि उस की दिनांक 11 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 508/आ०प्र०/78 में निम्नलिखित संशोधन किया जायगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, विद्यमान प्रविष्टि "हैदराबाद नगर निगम के विशेष आफिसर", के स्थान पर, "आयुक्त, हैदराबाद नगर निगम" प्रविष्टि रखी जाएगी"।

[संख्या 508/आ०प्र /86]

आदेश से,

सी० एल० रोज़, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1986

O. N. 71(E).—In pursuance of the provisions contained in sub-sections (1) and (2) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 508|AP|78, dated the 11th June, 1979, namely :—

In para 4 of the said notification, for the existing entry 'Special Officer, Municipal Corporation of Hyderabad, the entry 'Commissioner, Municipal Corporation of Hyderabad' shall be substituted.

[No. 508|AP|86]

By order,

C. L. ROSE, Secy.

Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986